न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 28/2018
तारीख दायरा – 03.07.2018

प्रार्थीगण :–

1. छोगाराम पुत्र स्व. पुखराजजी
2. मदन पुत्र पुनारामजी
   तमाम जातिगण–बावरी, निवासीगण–प्रतापगढ झुपा(सादडी)
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. पुनाराम पुत्र अणदाजी आयु–बालिग
2. रमेश पुत्र पुनारामजी आयु–बालिग
3. गणेश पुत्र पुरारामजी आयु–बालिग
4. अणदाराम पुत्र भैरारामजी आयु–बालिग
   तमाम जातिगण–बावरी , निवासीगण – प्रतापगढ(सादडी)
   तहसील –देसूरी, जिला – पाली(राज.)

(वाद धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता दिनेश कुमार माली।
2– अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की ओर से – अधिवक्ता सुधीर श्रीमाली।
3– अप्रार्थी संख्या 02 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक– 28/7/2022

1– प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] पटवार हल्का सादडी 2 तहसील देसूरी जिला पाली में संयुक्त कब्जा काश्त और [illegible]क खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि आराजियात ख. नं. 447 रकबा [illegible] रकबा 0.4900 हेक्टर,

पेज लगातार 02 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

ख. नं. 454 रकबा 0.8100(खसरा संख्या 454 / 535 रकबा 0.1700 हेक्टर, खसरा नम्बर 536 / 454 रकबा 0.6400 हेक्टर) हैक्टर कुल क्षैत्रफल 02.7500 हेक्टर कुल लगान रूपये 61.25 रूपये की विद्यमान है।

2– यह है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण स्वर्गीय अणदा पुत्र आईदानजी के संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिक सदस्य होकर उनके विधिक वारीसान है। अणदा का परिवार हिन्दू था, जो मिताक्षरा हिन्दू विधि से शासित होता है। अणदा के संयुक्त हिन्दू परिवार की वंश वशांवली निम्नानुसार है :–

अणदा पुत्र आईदानजी

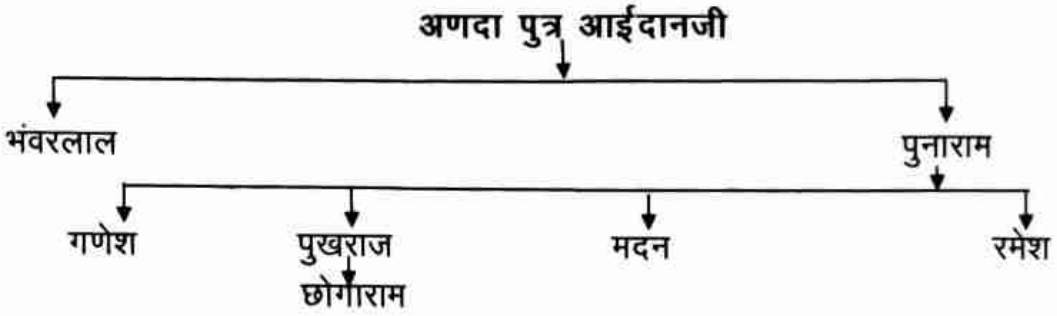

- भंवरलाल
- पुनाराम
  - गणेश
  - पुखराज
    - छोगाराम
  - मदन
  - रमेश

उपरोक्त वंश वंशावली अनुसार अनुसार अणदा के दो पुत्र हुए और भंवरलाल एवं पुनाराम। पुनाराम के चार पुत्र हुए। पुनाराम के पुत्र पुखराज और उसकी पत्नी का स्वर्गवास होने से एक मात्र वारीस छोगाराम है। प्रार्थी छोगाराम के मात–पिता का स्वर्गवास होने से छोगाराम अनाथ है।

3– यह कि अणदाजी के संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भमि मौजा गांव प्रतापगढ के खसरा संख्या 9 से 12, 14, 89 से 92, 198, 200, 205, 206 की सहखातेदारी कृषि भूमि विद्यमान थी। स्व. अणदा ने अपने दोनों पुत्रों का अलग–अलग कृषि भूमि सुपुर्द की जिसमें उक्त खसरा नम्बर की पैतृक कृषि भूमि में निहित सर्म्पूण हक अधिकार की भूमि भंवरलाल के बंट में रखी और पुनाराम के बंट का भी भंवरलाल को बेचानकर प्रतिफल राशि से पुनाराम के संयुक्त परिवार के लिये वादग्रस्त आराजी तेजा वल्द काना, मोगा, फता पुत्र तेजाजी से खरीद की। अणदा की भूमि का दस्तावेज भंवरलाल की पत्नी मथरा के नाम से बनाया गया ओर दुसरे पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 पुनाराम के लिये वादग्रस्त आराजी तेजा वल्द काना, मोगा, फता पुत्र तेजाजी से अणदा, भंवरलाल ने खरीद की और पुनाराम के नाम से दस्तावेज कराया गया। इस प्रकार स्व. अणदा ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र भंवरलाल को पैतृक कृषि भूमि और पुनाराम को वादग्रस्त कृषि भूमि सुपुर्द की जिससे वादग्रस्त भूमि स्व. अणदा की पैतृक कृषि भूमि है।

4– यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि पक्षकारान के संयुक्त हिन्दू परिवार के संयुक्त कब्जा काश्त और सहदायिकी की कृषि भूमि है। जिसमें पक्षकारगण को जन्म से ही अर्थात अर्थात् स्व.

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अणदा के स्वर्गवास से ही सहखातेदारी हक अधिकार और आधिपत्य विद्यमान है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण स्व. अणदा के संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिकी सदस्य होने से सभी को बहिस्सा बराबर–बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार और माफिक हिस्सा संयुक्त आधिपत्य प्राप्त कर कब्जा काश्त करते आ रहे है।

5– यह कि वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखों में एक मात्र अप्रार्थी संख्या 01 पुनाराम का नाम इन्द्राज होने और वर्तमान में पुनाराम अत्यधिक शराब पिने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से बिमार होने का लाभ उठाकर गांव के ही अणदाराम अप्रार्थी संख्या 04 ने वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 454 में से 0.6400 हेक्टर के विशेष भू–भाग की भूमि को बाले बाले अपने नाम करवा दिया, जो दस्तावेज और भू– अधिकार अभिलेखों में किये गये इन्द्राज प्रार्थीगण के हक अधिकरों के विपरित प्रभाव अवैध, शुन्य और कानूनन निष्प्रभावी है, जिनसे अप्रार्थी संख्या 04 को वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हक अधिकारों के विपरित कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

6– यह कि प्रार्थी संख्या 01 अनाथ है, जिसके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा वादग्रस्त आराजी ही है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से वंचित करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 01 और 04 ने बिना किसी हक अधिकारिता के दस्तावेज निष्पादित करवाकर भू–अधिकार अभिलेखों में मिथ्या रूपेण किये गये इन्द्राजों को आधार बनाकर अप्रार्थी संख्या 04 ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से जोर जबरदस्ती बेदखल करने और काश्त नहीं करने देने की धमकियां दी एवं प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की वादग्रस्त आराजी में खडाई करवाई और फसल बुवाई करने की तैयारी की तो अप्रार्थी संख्या 04 ने प्रार्थीगण को रोकते हुए पुनः धमकाया है कि " वादग्रस्त आराजी मरे लिये खाली कर दे अन्यथा वह जान से मार देगा।" जिससे प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में निहित प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकारों की घोषणार्थ एवं अप्रार्थी संख्या 0 के द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 0.6400 हैक्टर भूमि को मन माफिक हस्तान्तरण करने और अप्रार्थी संख्या 01 व 04 द्वारा लगातार प्रार्थीगण को धमकियां दी जा रही है कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजी के विशेष भू–भाग का हस्तांतरण कर देगे। जिससे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को निहित खातेदारी हक अधिकारों और अवादग्रस्त आराजी की सुरक्षा के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का अन्तर्गत 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया है।

7– यह कि प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती बेदखल करने और प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में निहित हक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा धमकिया देने और

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादग्रस्त आराजी को मन माफिक तरीके से बेचान करने और आगे से आगे बेचान करने पर आमादा होने, प्रार्थीगण को जोर जबरदस्ती बेदखल करने की धमकिया देने इत्यादि के अप्रार्थीगण द्वार अवैध कार्य करने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को निहित 2/5 हिस्सा के हक अधिकारों की सुरक्षार्थ और प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा बेचान करने से रोकन के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.ट.एक्ट में प्रस्तुत है।

8– यह कि मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर सुस्थापित कब्जा पैतृक आराजी भंवरलाल को बेचान के बाद वादग्रस्त आराजी खरीदने से लेकर लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी संख्या 01 अनाथ काश्तकार है, जिनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन वादग्रस्त आराजी है। अप्रार्थीगण को उक्त धमकी भरें कृत्यों को करने से नहीं रोका जाता है तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद खत्म हो जायेगा प्रार्थीगण को अपनी मुल्यवान प्रतिभूति वादग्रस्त कृषि भूमि से मररूम रहना पडेगा, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों पैसों से नहीं की जा सकती है। जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना नितांत आवश्यक और न्यायसंगत है।

9– प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम प्रतापगढ पटवार हल्का सादडी चक 2 में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 447 क्षैत्रफल 1.4500 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 क्षेत्रफल 0.4900 हेक्टर, खसरा नम्बर 454 क्षैत्रफल 0.8100 हेक्टर(खसरा संख्या 535/454 रकबा 0.1700 हेक्टर, खसरा नम्बर 536/454 रकबा 0.6400 हेक्टर) कुल क्षैत्रफल 02.7500 हेक्टर कुल लगान रूपये 61.25 रूपये की भूमि में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी नहीं करे और ना ही करावें, प्रार्थीगण को जोर जबरदस्ती अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें और ना ही करावें, वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तान्तरण, रहन इत्यादि अप्रार्थीगण नहीं करें और ना ही करावें।

10– प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2018 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की हिस्से की भूमि के संबंध में जवाब आने तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटित तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 ने नोटिस लेने से इन्कार किये जाने पर खुले मकान पर चस्पा किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 4 का नोटिस तामिल माना गया। अप्रार्थी संख्या 3 को जारी नोटिस गलत पत्ते के कारण अदम तामिल होने से पुनः सही पत्ते से नोटिस जारी किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की अधिवक्ता सुधीर श्रीमाली ने वकालतनामा पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से जवाब

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र पेश किया शामिल मिसल किया। वकील अप्रार्थी ने मूल पत्रावली में आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसक जवाब मूल पत्रावली में वकील प्रार्थीगण द्वारा मूल पत्रावली मे पेश किया गया। पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी में बाद बहस के अप्रार्थी संख्या 1 व 4 का मूल पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। अतः न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 4 का जवाब रिकॉड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटित तामिल के अनुपस्थित होने से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

11– अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने गलत वाद पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की सफलता की कोई गुंजाईश ही नहीं है। जिससे प्रार्थना पत्र का सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। जिससे प्रार्थना पत्र पृथम दृष्टया खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा–काश्त और पैतृक खातेदारी की विद्यमान नहीं है बल्कि वादग्रस्त आराजी मात्र अप्रार्थी संख्या एक पुनाराम (पिता) की स्वअर्जित खरीदसुदा क कब्जासूद है।

12– यह गलत है कि स्व. अणदा पुत्र आईदान का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार हो तथा यह भी गलत है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सहदायिकी हो। प्रार्थना पत्र वर्णित वंशावली सम्पूर्ण नहीं दर्शाई है। प्रार्थीगण को हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। स्व. अणदाराम पुत्र आईदान की मृत्यु कब हुई, वर्णित नहीं है। यह गलत है कि ग्राम प्रतापगढ के खसरा नम्बर 1 लगाय 12, 14, 89 से 92, 198, 200, 205, 206 की भूमि सहखातेदारी की विद्यमान थी। उक्त भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार भंवरलाल के बंट मे रखी होने का तथ्य भी गलत है, प्रार्थीगण साबित करें तथा कब बंट हुआ, जिसका भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। यह गलत है कि पूनाराम के बंट का भी भंवरलाल को बेचानकर प्रतिफल राशि से पूनाराम के संयुक्त परिवार के लिये वादग्रस्त आराजी तेजा वल्द काना, मोगा, फता पुत्र तेजाजी से खरीद की है। बल्कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 पूनाराम स्वयं ने जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 07.06.1997 को तेजा पुत्र काना, मोगा, फता पुत्र तेजा बावरी से अक्षरे 2,00,000/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रमाण स्वरूप रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति संलग्न है। जो अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की स्वअर्जित, खरीदसुदा खातेदारी व कब्जासूद भूमि है। जिससे स्व. अणदा पुत्र आईदान की होने का प्रश्न पैतृक होने का तथा सुपुर्द करने का प्रश्न की पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत वर्णित है।

13– प्रार्थीगण द्वारा जो अप्रार्थी संख्या 1 के मात/दादा से काफी वर्षो से अलत रह रहे थे तथा सेवा चाकरी एवं भरणपोषण नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने एवं परिवार

पेज लगातार 06 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 454 रकबा 0.8100 हेक्टर में से मात्र 0.6400 हेक्टर भूमि ही अप्रार्थी संख्या 4 अणदाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.01.2018 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 अणदाराम खरीददार कब्जा काश्त है एवं नियमानुसार नामान्तरण दर्ज होकर, वाद विधिक बंटवाडा के अप्रार्थी संख्या 4 अणदाराम का खरीदसूदा भूमि का पृथक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 536/454 रकबा 0.6400 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 4 अणदाराम के नाम कायम हो चुका है। शेष भूमि खसरा नम्बर 447, 453, 535/454 कुल रकबा 2.1100 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम ही स्वअर्जित हाने खातेदारी व कब्जासूद दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार नहीं हैं जिससे प्रार्थना पत्र का पृथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

14– यह गलत है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार हो तथा प्रार्थीगण सहदायिकी होकर वादग्रस्त आराजी में 1/5–1/5 हिस्सा हो, बल्कि वादग्रस्त आराजी न तो पैतृक सम्पति है तथा न ही प्रार्थीगण स्व. अणदा पुत्र आईदान के परिवार के संयुक्त सहदायिकी रहे। जबकि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित खातेदारी व कब्जासूद है। एवं अप्रार्थी संख्या जो स्वस्थ मानिसकता वाला व्यक्ति है स्वयं ने विक्रय विलेख दिनांक 11.01.2018 हेतु स्टाम्प खरीद कर विक्रय दस्तावेज निष्पादित करवाकर खसरा नम्बर 454 रकबा 0.8100 हेक्टर में से 0.6400 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 4 को उप पंजीयक देसूरी के समक्ष उपस्थित होकर गवाहान के रूबरू विक्रय कर पंजीयन करवाया है। जिससे भी अप्रार्थी संख्या 1 के बीमार एवं अस्वस्थ होने का तथ्य गलत साबित होता है। तथा यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने 4 के पक्ष में मिथ्या दस्तावेज तथा मिथ्या इन्द्राज करवाया हो।

15– यह गलत है कि प्रार्थीगण को धमकिया दी हो एवं अप्रार्थी संख्या 4 की खरीदसुदा खातेदारी व कब्जासूद भूमि पर प्रार्थीगण ने खडाई करवा दी हो, बल्कि खसरा नम्बर 454 में से 0.6400 हेक्टर भूमि जो पृथक तरमीमदसुदा जिसके नये खसरा नम्बर 536/454 रकबा 0.6400 हेक्टर भूमि पर वक्त खरीद दिनांक 11.01.2018 से अप्रार्थी संख्या 4 का ही कब्जा काश्त बहैसियत खरीददार व खातेदार के विद्यमान है। अप्रार्थी संख्या 4 अजनबी नहीं होकर उसी गांव का निवासी है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य वर्णित करते हुए गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र का सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

16– प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित होने से अप्रार्थी संख्या 4 ने जरिये विक्रय विलेख के वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त किया था। जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार अपूरर्णीय क्षति नहीं हो रही है। इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को रोका गया तो अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकेगा। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक व संयुक्त खातेदारी की नहीं होने, प्रार्थीगण के पिता/दादा अप्रार्थी संख्या 01 के जीवनकाल मे ऐसा वाद व प्रार्थनापत्र करने एवं पृथक हिस्से क्लेम करने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

17– पत्रावली में वकुलाय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है। विवादित आराजी पैतृक सम्पति खरीदशुदा है जिसे अणदा ने पूनाराम/अणदा के नाम से खरीदा था। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी छोगाराम की आय का एकमात्र स्त्रोत है। अप्रार्थी पुनाराम अप्रार्थी मदन व रमेश से मिला हुआ है जो प्रार्थी के हिस्से की जमीन को बेचान करना चाहता है। उक्त आराजी में प्रार्थी के 1/5 हिस्से खातेदार के हक अधिकार है। विवादित आराजी पैतृक है या स्वअर्जित इसका निर्धारण बाद साक्ष्य की हो पायेगा तब तक यह सम्पति यदि किसी अन्य के पास जाती है तो मूल वाद की बहुलता बढेगी। नामान्तरण से साबित होता है कि अणदा द्वारा सम्पति बेचान आधी मथरा के नाम एवं आधी राशि से विवादग्रस्त आराजियात कय की गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

1. वि.के सुरेन्द्र बनाम वी.के. थिम्माई 2013 AIR 444 सुप्रीम कोर्ट
2. रामपाल यादव बनाम मेजर राघवेन्द्र 2005(1) RRT 106- BOR, AJMER
3. बाबु बनाम हनुमान 2002(2) RRT 1224
4. राज. सरकार राजस्व ग्रुप दिनांक 8.1.2007
5. रोहित चौहान बनाम सुरेन्द्रसिंह 2013 AIR 3525 सुप्रीम कोर्ट
6. बाबुराम बनाम संतोखसिंह 2013 AIR 1506 सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक दृष्टांत नम्बर 1 में सुप्रीम कोर्ट ने **Next Purchage Property** को पैतृक सम्पति माना। यदि सम्पति का बेचान हो गया एवं उसकी प्रकृति बदल जाती है तो प्रार्थी को नुकसान होगा। न्यायिक दृष्टांत नम्बर 2 में दोनों के मध्य मालिकाना हक को लेकर विवाद तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए। अतः प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

18– अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अणदा प्रार्थी का परदादा एवं अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का दादा है। प्रार्थी ने दादा के खिलाफ वाद किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को जन्म से परदादा के स्वर्गवास से अधिकार बताया है। कोपार्सनर वह होता है जिसका जन्म दादा या परदादा के जीवनकाल में हो। लेकिन अणदा की मृत्यु वर्णित नहीं, प्रार्थी का जन्म कब हुआ एवं उस समय जीवित होने से जिससे जन्म से अधिकार सिद्ध नहीं होता है। नामान्तरण 158 में अणदा ने मदन की पत्नी मथरा को जमीन ट्रांसफर की उससे प्राप्त राशि से वादग्रस्त आराजी खरीदी। उक्त नामान्तरण 158 का हवाला

पेज लगातार 08 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र में नही किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण साक्ष्य का मोहताज है पृथम दृष्टया यह साबित हो जाए कि जमीन अणदा की है या नही। जिस संबंध में ख.सं. 447, 453, 454, (535/454, 536/454) वर्तमान में कुल रकबा 2.75 हेक्टर अर्थात 17 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 पूनाराम ने वादग्रस्त आराजी 7.06.1997 में खरीदी जो स्वअर्जित सम्पति है जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी स्वअर्जित भूमि में से 4 बीघा जमीन अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख के बेचान की थी जो आज भी प्रभावी है। अप्रार्थी पूना व अणदा के बीच बंटवाडा हो गया है। कानूनन पिता या दादा जीवनकाल में पोता,पोती, पुत्र या पुत्री दावा पेश करने का अधिकारी नहीं है। वकील अप्रार्थी से अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :—

1. राधाबाई बनाम रामनारायण 2020 DNJ (SC)495
2. राजबिहारी बनाम रामनारायण 2017 DNJ 133 BOR Ajmer
3. पुरूषोत्तम बनाम राज. सरकार 2016(1) RRT 364 BOR Ajmer
4. 2017 DNJ 174 राजस्व मण्डल, अजमेर
5. 2016 DNJ 258 सुप्रीम कोर्ट
6. 2018(4) DNJ 1526 राजस्थान उच्च न्यायालय
7. 2009(1) RRT 162 हाई कोर्ट
8. 2009(2) RRT 1398 राजस्व मण्डल, अजमेर
9. 2021(2) DNJ 380 राजस्थान उच्च न्यायालय
10. 2009(1) DNJ 279 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच

वाद मे अणदा की पुत्रीयों को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं ना ही प्रार्थी ने विकय विलेख को चेलेन्ज नहीं किया है। प्रार्थी जन्म से अधिकार सिद्ध करने मे असफल है। विवादित आराजी पैतृक नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है जिसमे प्रार्थी के कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें

19— हमने वकुलाय बहस को सुना। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद—पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है ना ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त विद्यमान है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया।

20— प्रार्थीगणों ने विवादित आराजी को [illegible] अणदा की खातेदारी भूमि में दुसरे पुत्र भंवरलाल को बेचान से प्राप्त [illegible] से कय किया जाना वर्णित करते हुए इस आधार पर इसे अणदा की पैतृक भूमि दर्शाते [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 09 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जबकि अप्रार्थी संख्या एक ने इस स्वअर्जित भूमि जो कि कय की गई है बताते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजनों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकय विलेख दिनांक 07.06.1997 के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक पूनाराम/अणदा द्वारा उक्त विवादित आराजियात तेजा, मोंगा, आदि से कय किया जाना सिद्ध है जिससे प्रथम दृष्टया विवादित आराजियात स्वअर्जित ही साबित होती है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण विवादित आराजियात के संबंध में अपना अधिकार प्रथम दृष्टया सिद्ध करने में असफल रहे है। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में यह स्थापित करना चाहा कि पैतृक संपत्ति है तो घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है। सभी न्यायिक दृष्टांत पैतृक सम्पत्ति के संबंध में विवादों से संबंधित है जब कि इस प्रकरण में यह विवाद का मुख्य बिंदु ही विवादित आराजियात का पैतृक सम्पत्ति नहीं होना है, जो कि प्रार्थीगणों को सिद्ध करना है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। अप्रार्थीगणों द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये कि पिता क जीवित रहते पुत्र को कोई हक अधिकार अर्जित नहीं होते साथ ही अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जो कि उक्त प्रकरण में लागू होते है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगणों के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा मौजा ग्राम सादडी चक द्वितीय की विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 1.4500 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.4900 हेक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0. 8100(खसरा संख्या 454/535 रकबा 0.1700 हेक्टर, खसरा नम्बर 536/454 रकबा 0.6400 हेक्टर) हैक्टर कुल क्षैत्रफल 02.7500 हेक्टर के संबंध में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 28/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)